I would request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the victims of the atom bomb.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Open Storage of wheat at Najafgarh and Narela in Delhi

*261. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that FCI godowns are packed with foodgrains meant for export while huge stocks of wheat purchased by the Corporation for release through PDS has been lying in open at the grain markets at Najafgarh and Narela in Delhi for want of storage facilities;

(b) if so, what is estimated loss likely to be suffered by FCI as a result thereof; and

(c) what measures have been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The wheat procured by FCI is not lying in the open at Najafgarh and Narela mandis. All the wheat stocks procured by FCI from the said mandis have already been shifted to storage complexes.

It may also be mentioned that there is no distinction between stocks meant for export and stocks meant for distribution under PDS or other schemes. The demand for export of foodgrains is limited, though FCI has huge stocks available with it which are far in excess of the buffer stocking norms. The foodgrains are stored in FCI godowns in a scientific manner.

(b) and (c) Do not arise in view of the reply to part (a) above.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Mr. Chairman, Sir, more than one newspaper has reported that the wheat procured by the FCI got

rot as a result of sporadic rains, in May this year, at Najafgarh and Narela grain markets due to lack of storage facilities. I note it with a certain amount of surprise when the hon. Minister completely denied it. My part (a) of the question is : Did it happen that the FCI have stopped purchasing wheat for a long period of time and as a result of that the wheat brought in by the farmers in May got drenched in the rain and got completely rot? My part (b) of the question is : Has the Government received reports from other parts of the country about the wheat getting drenched and getting rot due to lack of adequate storage facilities?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, नज़फगढ़ और नरेला के अंदर पिछले सालों में प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता रहा। वर्ष 1998-99 में 7 हजार टन, 1999-00 में 1500 टन, 2000-01 में कोई प्रोक्योरमेंट वहां नहीं हुई थी। इस वर्ष एकदम प्रोक्योरमेंट वहां अधिक हुई। वहां 50 हजार टन प्रोक्योरमेंट हुई और हम ने दी। अप्रैल में हम ने 22 हजार टन ली और 9 हजार टन गोदामों में चली गयी, मई में 26 हजार टन प्रोक्योर की और 26830 टन चली गयी, जून में 999 टन प्रोक्योर की और 13 हजार टन चली गयी। सभापति महोदय, वर्षा के कारण केवल 1596 टन गेहूं प्रभावित हुआ है, लेकिन खराब नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। इस बार वर्षा समय से पहले आने के कारण पंजाब, हरियाणा दोनों में गेहूं पर वर्षा पड़ी है जिस कारण लस्टर लॉस हुआ है और रंग बदला है। बाकी कुछ खराब नहीं है। यहां जो गेहूं हम ने प्रोक्योर की, थोड़ी सी वर्षा पड़ी और बाकी एकदम रख ली गयी। लेकिन जिस पर वर्षा पड़ी, वह डैमेज नहीं है, खाने के योग्य है। यह 15 सौ टन गेहूं भी इश्यू हो गयी, ले जाई गई और खाई गई। सभापति जी, मैं ने पंजाब, हरियाणा को बता दिया कि वहां लस्टर लॉस हुआ है, लेकिन वर्षा के कारण डैमेज नहीं हुआ है।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: There is a small difference between what the Minister has said and what I have said. He says it is 1500 tonnes, but my figure is 15,000 tonnes. Anyway, I come to my second question.

The requirement of buffer stock of foodgrains in the country is only about 24 million tonnes. Against that, there are over 60 million tonnes of foodgrains stored in the godowns. The total value of the foodgrains stored in various warehouses is about Rs. 58,000 crores. The carrying cost of wheat is Rs. 220/- per quintal. These are colossal figures. The reason why the stock is accumulating is clear. As the free market does not fetch a good price, most of the farmers want to

sell their foodgrains to the Food Corporation. The result is that the stocks of foodgrains have been increasing every year and will go on increasing further, unless some corrective measures are taken.

Against this scenario, the Government has to adopt a three-pronged strategy in regard to which I pose my question.

(a) What steps does the Government propose to take to increase the internal offtake, when nearly 50 per cent of the foodgrains given under the BPL (Below the Poverty Line) and Antyodaya schemes remain unutilised?

(b) Iraq and Indonesia rejected Indian wheat shipments. In view of that, how does the Government propose to ensure that the quality of wheat purchased and stored is as per international standards so that wheat in large quantities could be exported?

(c) Has the Government any proposal to make it attractive for the farmers to grow foodgrains, like pulses, maize and oilseeds which are in short supply, so that some land is diverted from wheat and rice to these food crops?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, यह सत्य है कि इस समय बफर नॉर्म्स 243 लाख टन के हैं जो हमें रखना चाहिए। इस के विपरीत 616 लाख टन अनाज हमारे गोदामों में है। इस का सब से बड़ा कारण यह है कि उत्पादन भी हुआ है और सरकार ने किसान के हित में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उचित रखी है। इस कारण किसान ने हम को अधिक-से-अधिक अनाज देने की कोशिश की है और जो भी अनाज मंडी में आया, उस को हम ने लेने की कोशिश की है। इसलिए हमारे भंडार भरे पड़े हैं। सभापति जी, इन भंडारों का उपयोग करने के लिए सरकार ने दो प्रकार की नीति बनाई है। एक, पहली प्राथमिकता देश के अंदर गरीब और आम आदमी को अन्न उपलब्ध कराया जाए। उस में पहले गरीबी रेखा से नीचे के 36 करोड़ लोगों को 10 किलो प्रति परिवार अनाज दिया जाता था, उसे बढ़ाकर पिछले साल 20 किलो प्रति परिवार कर दिया गया और इसी साल 10 जुलाई को यह 25 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है। सभापति जी, वे 5 करोड़ लोग जिन को 1997 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल गरीब नहीं, भूखे कहा गया था, जो 365 दिन पूरी रोटी नहीं खा पाते थे, उन 5 करोड़ लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गयी जिस में प्रति परिवार 25 किलो अनाज केवल 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से दिया जाता है। महोदय, मुझे खुशी है कि बहुत थोड़े समय के अंदर ही 16 प्रदेशों ने इस योजना को प्रारंभ कर दिया है। हम एक करोड़ परिवारों की मदद इसमें करना चाहते हैं। अभी तक 51 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना में अन्न मिलना शुरू

हो गया है। इसके अतिरिक्त जिन प्रदेशों में सूखा पड़ा है, उनको इस समय तक लगभग 20 लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त फूड फार वर्क के लिए दे दिया गया है। एन०जी०ओज़०, राज्य सरकारें जितनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, सरकार ने निर्णय किया है कि उन सभी योजनाओं के लिए प्रदेश जितना अन्न चाहे 50 परसैंट कम मूल्य पर सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय पिछले साल किया गया है कि राज्य की सरकार फूड फार वर्क में कोई भी काम शुरू करे, उसके लिए यदि वह हमसे अन्न मांगेगी तो 50 परसैंट पर वह जितना चाहे उसे हम अन्न देने के लिए तैयार हैं। इन योजनाओं के द्वारा देश के अंदर कहीं भूख की स्थिति न आए, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद भी अन्न हमारे पास बहुत अधिक है। तो पिछले वर्ष सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया कि हम इस अन्न को एक्सपोर्ट करें। सभापति जी, 1996, 1997, 1998 के तीन वर्षों में, जबकि अन्न का उत्पादन था, फिर भी सस्ती गेहूं लगभग 30 लाख टन इस देश में इम्पोर्ट की गई थी। अब डयूटी बढ़ाकर इम्पोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पिछले साल एक्सपोर्ट करना हमने शुरू किया और सभापति जी, यह खुशी की बात है कि इस समय तक यह देश 31 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट कर चुका है। तो यह जो भंडार भरे पड़े हैं, इसका एक तो देश में अधिकतम उपयोग किया जाए, यह हमारी नीति है और अगर उससे अधिक हो तो एक्सपोर्ट किया जाए, यह भी हमारी नीति है।

इराक के बारे में कहा गया है। हमने 31 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया लेकिन किसी देश में हमारा अन्न रिजेक्ट नहीं हुआ, केवल इराक ने किया। उसका कारण यह है कि ग्रेन बोर्ड आफ इराक ने भारत के सात एक्सपोर्टर्स को सीधा आदेश दिया, उन्होंने क्वोट किया। उनके एक्सपोर्ट की तीन या चार कन्साइनमेंट रिजेक्ट हुईं। हालांकि सरकार सीधे बीच में नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि यह भारत की इमेज का प्रश्न है, इसलिए हमने वहां एकदम डेलिगेशन भेजा, जो पांच दिन वहां रहा और बातचीत करके वापिस आया। सभापति जी, असली कारण यह है कि जो इंटरनेशनल स्टेंडर्ड हैं गेहूं के, उनको तो वह एक्सपोर्ट पूरा करता था लेकिन इराक का स्टेंडर्ड उससे भी सख्त था। इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के मुताबिक 2 प्रतिशत फारेन मैटर हो सकता है, जिसमें डेढ़ प्रतिशत आरगेनिक, आधा प्रतिशत इन-आरगेनिक हो सकता है, लेकिन इराक ने कहा कि हमारे स्टेंडर्ड के मुताबिक 0 परसैंट इन-आरगेनिक होना चाहिए। यह शर्त इराक ने एक्सपोर्टर्स को बताई नहीं, एक्सपोर्टर्स ने पूछा नहीं, इस कारण वह हुआ। हमने अभी निर्णय किया है कि जब तक इराक की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक्सपोर्टर पूरी तरह से उसे साफ नहीं करते, तब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा। कोशिश की है — वहां पर सफाई करने का संयंत्र लग गया है, उन्होंने सफाई कर दी है, साफ की हुई गेहूं का नमूना इराक को भेज दिया है। इराक को हमने निमंत्रण दिया है कि आप यहां आइए, इस नमूने को देखिए और पुराना जो आर्डर है उसको बहाल कीजिए।

एक और प्रश्न आपने किया है कि किसानों को पल्सिस और आयल सीड्स की तरफ प्रवृत्त किया जाए, यह सरकार के विचाराधीन है। एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स इसके लिए बना है, वह इस पर विचार कर रहा है ताकि किसान फूड ग्रेन के साथ-साथ आयल सीड्स और पल्सिस की तरफ जाए क्योंकि आज स्थिति यह है कि फूड ग्रेन बहुत अधिक हमारे पास है, पल्सिस, आयल सीड्स बहुत कम हैं और उसमें हमारी फारेन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, फोरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है। तो यह सरकार के विचाराधीन है कि हम अपनी नीतियों को ऐसा रूप दें कि किसान फूड ग्रेन के अतिरिक्त पल्सिस और आयल सीड्स लगाने की तरफ प्रवृत्त हों।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय वज़ीर साहब से यह कहना चाहता हूं कि देश बाहर से बहुत अनाज मंगवाता रहा, गरीबी थी, अब तीन साल से यहां अनाज सरप्लस हो गया है, यह खुशी की बात है और यह इस कारण सरप्लस हुआ क्योंकि सरकार की पालिसी प्रो-फार्म है। मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में जो अनाज बेकार हो जाता है, उससे हमारे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। महोदय, जो सरप्लस स्टेट्स हैं और जो डेफिशियेंट स्टेट्स हैं, दोनों तरफ मैकेनिकल और साइंटिफिक स्टोरेज बनाने की जरूरत है ताकि जो सरप्लस अनाज है, उसका 4-5 साल के लिए स्टोरेज हो सके और यदि कभी सूखा पड़ जाए तो अनाज की कोई कमी न हो और अगर अनाज बाहर भेजना है तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस दफा एक्सपोर्ट हुआ है, वह अच्छा है, देश के किसान के लिए भी अच्छा है और इकॉनमी के लिए भी अच्छा है लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स ने ईराक को जो माल भेजा और वह रिजेक्ट हो गया, यह ठीक है कि सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है लेकिन किसानों के लिए और सरकार के लिए अच्छा नहीं है। इसको रोकने के लिए भविष्य में कोई भी प्राइवेट ट्रेडर्स जब अपना माल बाहर भेजें या हमारे यहां से जो भी एक्सपोर्ट हो, उसको पोर्ट्स पर चैक करके भेजा जाए ताकि देश की बदनामी न हो और देश का नाम ऊंचा हो। हमारा ख्याल है कि आने वाले समय में हमारे देश में चावल और गेहूं, दोनों का उत्पादन सरप्लस होने जा रहा है, इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि हमारे यहां स्टॉक बढ़ने से प्रॉब्लम न हो और देश का नुकसान न हो। मेरे ये 2 प्वाइंट्स हैं, इन दोनों पर सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, देश में अन्न के भंडार हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको रखने का ठीक प्रबंध होना चाहिए, यह सोचकर सरकार ने नेशनल स्टोरेज पालिसी बनाई, एप्रूव कर दी और उस पर काम हो रहा है। उस पालिसी में दो मुख्य बातें हैं—एक तो स्टोरेज ऑफ बल्क हैंडलिंग ऐंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेट्स भारत सरकार ने दे दिया है और दूसरा इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्राथमिकता दी गई है। उसके

अंतर्गत लगभग 6 लाख टन की कैपेसिटी कन्वैंशनल गोडाऊन के द्वारा प्राइवेट सैक्टर में बनाने का निर्णय किया गया है। फूड कारपोरेशन ने पूरे देश में स्थान तय किए हैं कि हमको कहां कितनी जरूरत है, ऐडवर्टाइज किया, ऑफर आ गई है और अब ऑफर आने के बाद, औपचारिकता तय होने के बाद हम उनके साथ ऐग्रीमेंट करेंगे और जब हम ऐग्रीमेंट करेंगे, तब वे गोदाम बनाएंगे, सरकार उस पर कोई खर्च नहीं करेगी। प्राइवेट सैक्टर में कन्वैंशनल गोडाऊन के माध्यम से 6 लाख टन की कैपेसिटी क्रियेट की जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे स्थान कंज्यूमर स्टेट्स में, प्रोडयूसिंग स्टेट्स में चुने गए हैं जहां लगभग 21 लाख टन बल्क हैंडलिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। उस संबंध में राईट्स को कंसलटेंट तय किया गया है, स्थान तय हो गए हैं, फार्मेलिटीज़ तय हो रही हैं, सारी फार्मेलिटीज तय होने के बाद इस बारे में टेंडर मांगे जाएंगे और 11 स्थानों पर 21 लाख टन की कैपेसिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर और 50 स्थानों पर कन्वैंशनल आधार की कैपेसिटी निर्मित की जाएगी। इस तरह से नेशनल स्टोरेज पालिसी आरंभ हो गई है और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा।

सभापति महोदय, एक बात इन्होंने रिजेक्शन के बारे में पूछी थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस समय सरकार ने डेलीगेशन भेजा और अब यह निर्णय किया गया है कि कोई और कंसाइनमेंट तब तक न भेजा जाए जब तक सफाई न हो जाए। हम इसका पूरा प्रबंध कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कोई और कंसाइनमेंट किसी देश ने रिजेक्ट नहीं किया है क्योंकि वह इंटरनेशनल मापदंड को पूरा करता है और जहां तक ईराक का संबंध है, उन्होंने केवल हमारी गेहूं ही रिजेक्ट नहीं की है, उन्होंने इसी आधार पर कुछ अन्य देशों की गेहूं भी रिजेक्ट की है।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has informed the House that we have currently over 61 million tonnes of foodgrains in stock whereas, as of date, according to his statistics, we need only 24 million tonnes of foodgrains as bufferstock. Sir, we have a paradoxical situation in our country on the food front. Published statistics show not an increase in the rate of growth of food production; rather, a decline in the rate of growth of food production. If the published statistics of the Agriculture Ministry are correct, the present crisis on the food front is not a crisis of production, but a crisis of purchasing power. Would the hon. Minister tell the House as to what is the Government's assessment about the reasons for accumulating foodstocks, despite the decline in production?

The second question that I have in mind is this. The hon. Minister is right that there are only three ways by which we can get rid of the surplus stocks. One is export. There are difficulties, though improved quality would help. The other is to encourage further growth of the Food-for-Work Programme, and the third is the Programme of Mid-day Meals, which was started in 1995-96. I regret to note that there are now visible indicators that in many States, the Mid-day Meal Programme is languishing and the quantity that is earmarked for this purpose is not being lifted. Would the hon. Minister tell us as to what is his assessment of the progress of Mid-day Meal Programme in schools, which can make a major contribution not only towards improving the quality of health of our children, but also towards increasing attendance in the schools?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, यह सचमुच एक विरोधाभास है कि हमारी प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं हो रही है। प्रोडक्शन पिछले साल के बराबर है या कम है इसके कारण प्रोक्योरमेंट कम नहीं हो रही है प्रोक्योरमेंट बढ़ रही है और उसका केवल एक कारण है कि सरकार किसान को लाभप्रद मूल्य देना चाहती है। उसका ध्यान रख कर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होती है और हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतनी रीजनेबल है, इतनी आकर्षक है कि किसान सरकार को अपना अन्न देना चाहता है। जब किसान सरकार को अन्न देना चाहता है तो सरकार खरीदती है और उसके कारण हमारे भंडार भर रहे हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया वह सचमुच महत्वपूर्ण है और उसके मुताबिक जो एलोकेशन गरीब के लिए, आम आदमी के लिए भारत सरकार करती है वह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्यों के द्वारा उसका आवंटन, डिस्ट्रिब्यूशन जो होना चाहिए उसमें कमी है और क्योंकि यह डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, प्रोक्योर हमको करना है, स्टोर हमको करना है, राज्य सरकार को देना है, यह तीनों के तीनों काम भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। इसके बाद जो चार लाख साठ हजार राशन की दुकानें हैं उन दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उसमें कमी है। इसलिए सभापति महोदय, जब बार-बार यह बात कही गई कि इस देश में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और लोग भूखे हैं तो मैंने यह कहा था कि अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और इतनी योजनाएं सरकार की हैं इसके बाद भी यदि कहीं कोई भूखा है तो अनाज की कमी के कारण नहीं है, इंतजाम की कमी के कारण है और हम कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकारों से मिल करके कि उस इंतजाम को बेहतर बनाएं।

आपने मिड-डे मील की बात कही। सचमुच यह दुख का विषय है कि 24 लाख टन अनाज मिड-डे मील में बिल्कुल मुफ्त भारत सरकार देना चाहती है। उठता कितना है? पिछले साल केवल 15 लाख टन अनाज उठा है। मैं बताना चाहूंगा कि बी०पी०एल० में, अन्त्योदय में,

अन्नपूर्णा में, न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स होस्टल में भारत सरकार कुल 303 लाख टन अनाज सस्ते भाव पर या मुफ्त देना चाहती है, एलोकेट करती है। उठता कितना है केवल 130 लाख टन। 170 लाख टन अनाज जो भारत सरकार गरीबों को, गांवों को देना चाहती है वह नहीं पहुंचता। हम बार-बार प्रदेशों से कह रहे हैं, मुख्य मंत्रियों से कह रहे हैं कि इस 170 लाख टन को उठाइए और अपने-अपने प्रदेशों में बांटिए।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पड़े गेहूं में से 20 लाख टन गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को पांच हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से देने का कोई निर्णय किया है? अगर इसके प्रोक्योरमेंट और कैरिंग कॉस्ट पर हम ध्यान दें तो सरकार को यह 7,800 रुपये प्रति टन पड़ता है और इसके कारण भारत सरकार को करीब 56 करोड़ रुपये का घाटा खुद उठाना पड़ेगा, क्या यह बात सही है?

जो रोलर फ्लोर मिलों में गेहूं से आटा बनेगा, मैदा बनेगा, भूसा बनेगा उसको और निकास करने के लिए मंत्रालय ने क्या यह बात रखी है कि जो एक टन गेहूं लेता है उसको एक टन मैदा का निकास करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इस मैदा की निकासी के लिए एक टन गेहूं में से एक टन मैदा निकालने के लिए क्या उन्हें आप ज्यादा गेहूं नहीं दे रहे हैं? इससे सरकार को घाटा हो रहा है और उनको फायदा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की क्या नीति है?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि इतने भंडार भरे हैं, किसान इतना अन्न पैदा कर रहा है कि देश की आवश्यकता की पूर्ति के बाद हमने एक्सपोर्ट करने का निर्णय किया है। इस वर्ष का 50 लाख टन गेहूं हम एक्सपोर्ट करेंगे, 30 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करेंगे, यह हमने तय किया है। इस बार एक मांग आई कि प्रदेशों में व्हीट नहीं बीट प्रोडक्ट की भी जरूरत है, केवल गेहूं नहीं, गेहूं की प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाए। अभी तक सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम बीट प्रोडक्ट का 20 लाख टन एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक इसका भाव तय नहीं किया है। हमारी एक हाई लेवल कमेटी है जो यह देख रही है। यदि गेहूं के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो निश्चित रूप से कितना मैदा निकलेगा, कितना आटा निकलेगा, कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट में भाव कितने हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद रेट तय होगा। अभी तक कोई रेट तय नहीं हुआ है।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि देश के अंदर गेहूं के भंडार हैं। यह मैं भी मानता हूं यह बात सही है कि देश के अंदर गेहूं का भंडार है। लेकिन उसके रख-रखाव की आपकी जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। पिछले साल आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से स्कूलों को गेहूं वितरित किया था, स्कूलों के अंदर आपने फ्री गेहूं देने की बात

कही थी लेकिन उस गेहूं को स्कूलों के बच्चों ने नहीं लिया। वह इस किस्म का गेहूं था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गांव के अंदर जिन लोगों को गेहूं वितरित किया गया था, वह गेहूं उन्होंने भी नहीं लिया, क्योंकि वह बहुत ही घटिया, सड़ा हुआ गेहूं था और उसमें कीड़े पड़े हुये थे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसे खराब गेहूं को अपने भंडारों में भरकर क्यों रखा हुआ है? उसको पहले क्यों नहीं निकाला गया जिससे कि वह गरीब लोगों को मिल सकता, गरीब लोगों को उससे फायदा हो सकता?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं राजस्थान में पिछले दो-तीन साल से भंयकर अकाल पड़ा है, इस साल राजस्थान की सरकार ने आपसे कितना गेहूं मांगा और आपने कितना गेहूं उसको उपलब्ध. कराया?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, क्वालिटी की बात कही गई है। हमने राज्य सरकारों को यह कहा है कि जब उनको हमारे गोदामों से अन्न लेना है तो वे बिलकुल ठीक अन्न लें। थोड़ा-सा भी खराब हो तो बिल्कुल स्वीकार न करें, हमको शिकायत करें। यदि वितरण में कहीं अन्न खराब है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गलत और खराब अनाज उठाया ही न जाये ऐसे हमने निर्देश दिए हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रोक्योरमेंट का सवाल आता है तो हम पर राज्य का दबाव आता है कि यह भी रिलेक्स कर दो। रंग खराब है तो भी ले लो, बारिश पड़ी है तो भी ले लो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तब कहते हैं बढ़िया दो। चमकता हुआ दाना हमको दीजिए। यह हमारी कठिनाई है, यह केन्द्र सरकार की कठिनाई है। ...**(व्यवधान)**... उस समय दबाव डालकर स्पेसिफिकेशन को रिलेक्स करवाने की कोशिश की जाती है और जब लेना होता है तो कहते हैं कि बढ़िया दीजिए। अगर लेते समय स्पेसिफिकेशन पर रिलेक्सेसन होगी तो देते समय बढ़िया नहीं मिल पायेगा।

सभापति जी, कुछ प्रदेशों के लोग आये थे, वे माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गए थे। ...**(व्यवधान)**... सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया है कि यदि रिलेक्स्ड स्पेसिफिकेशन करके हमको लेना पड़ा है और वह उपयुक्त नहीं है तो हम उसको पीडीएस में बिल्कुल इश्यु नहीं करेंगे। यह निर्णय हो गया है और रिलेक्स्ड स्पेसिफिकेशन का जितना हमारे पास चावल है, हम उसको नीलाम कर रहे हैं, कम पैसे पर दे रहे हैं। पी॰ डी॰ एस॰ में बिल्कुल नहीं दे रहे, यह निर्णय सरकार ने कर लिया है इसलिए मैंटेन करने की पूरी-पूरी कोशिश हो रही है। अब तो स्पेसिफिकेशन में भी हमारी कोशिश है कि जब हम लें तो उसमें किसी किस्म की कमी न रहे। इसके अतिरिक्त फूड फॉर वर्क में हमने लगभग 21 लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त दे दिया है। राजस्थान को वीट की अलाटमेंट 7 लाख 39 हजार हुई है और उसमें से ऑफ टेक है, 4 लाख 77 हजार।

श्री जनेश्वर मिश्र: धन्यवाद सभापति महोदय, खाद्यात्र और खेती के बारे में मैं बहुत लम्बा सवाल नहीं पूछूंगा, उस पर बहुत बहस हो सकती है। मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, मैं उसी पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। महोदय, मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि पिछले दिनों एक कमेटी बनी थी जिसमें 5 करोड़ लोगों को निर्धनता नहीं बल्कि भूख और भुखमरी की लाइन में रखा गया है। उन लोगों के लिए 25 किलो प्रति परिवार गेहूं देने का फैसला लिया गया है। यह मंत्री जी का बयान है। अभी-अभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, शायद बिरला साहब के प्रश्न के जवाब में कहा है — बिरला साहब खेती और खाद्यात्र की बात करें यह बहुत खुशी की बात है लेकिन उन्होंने किया, इसके लिए...

श्री कृष्ण कुमार बिरला: मेरे यहां खेती भी होती है, आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं। ...(**व्यवधान**)..

श्री संघ प्रिय गौतम: उन्होंने देखी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: महोदय, एक परिवार में औसत पांच आदमी होते हैं। किसी-किसी परिवार में 8-10 और किसी में 2-3 लोग होते हैं किन्तु औसत पांच आदमी होते हैं। उस हिसाब से एक आदमी को पांच किलो अनाज मिलता है। हम लोग जब जेल में बंद होते हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से हम लोगों को एक दिन का आधा किलों आटा दिया जाता है जिसकी रोटी हम खाते हैं। उससे कम अगर जेल अधिकारी तौलता है तो हम उसको बेईमान कहते हैं। इस हिसाब से एक आदमी को एक दिन का आधा किलों आटा मिलता है तो दो दिन का एक किलो हुआ। पांच किलों गेहूं उस भूखे आदमी के हिस्से पड़ा है। पांच किलों यानी दस दिन—दस दिन तो इनका गेहूं वह खा लेगा लेकिन उसके बाद बीस दिन तक वह आदमी भूखा रहेगा — यह गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भूखे को भी गेहूं देने में सरकार कंजूसी क्यों कर रही है, इसका जवाब मैं मंत्री जी से चाहूंगा?

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, यह ठीक है कि एक परिवार की कम से कम जरूरत 50-60 किलो की है और उसमें हम 25 किलो प्रति परिवार देते हैं। महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप तो इस बात की चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हम अधिक गेहूं नहीं दे रहे हैं किन्तु मेरी चिंता यह है कि जो 25 किलो भी हम दे रहे हैं, यह भी वहां नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभापति जी, बिलो पॉवर्टी लाइन 36 करोड़ लोग हैं जिनके लिए हम 160 लाख टन अनाज देना चाहते हैं किन्तु उठता कितना है? केवल 95 लाख टन। मैंने तो माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने ही मुख्य मंत्रियों से यह प्रश्न किया था कि एक परिवार की कम से कम जरूरत पचास किलो है और हम 25 किलो देते हैं। इतने सस्ते भाव पर जितने सस्ते भाव पर हिन्दुस्तान की किसी भी दुकान पर गेहूं नहीं मिलता—यह ऑफ टेक 100 परसेंट होना चाहिए, यह केवल 55 प्रतिशत क्यों है? माननीय सदस्य हमारी मदद करें कि यह ऑफ टेक 100

परसेंट हो। महोदय, जब 25 किलो प्रति परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी व्यवस्था देना शुरू कर देगी तो फिर हम प्रधान मंत्री जी को कहेंगे कि इसे और बढ़ाने की कोशिश की जाए। समस्या यह है कि यह भी नहीं दिया जा रहा है, यह भी नहीं पहुंच रहा है।

MR CHAIRMAN: We have taken 35 minutes on this question. Now, Question No. 262.

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की दशा

*262. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों की दशा दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मकारों को पूरे वर्ष रोजगार दिलाने तथा उन्हें समुचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार को असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों की समस्याओं की जानकारी है। असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकार देश में कुल श्रम बल का लगभग 92 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश कर्मकार कृषि में लगे हैं जिसमें रोजगार मौसमी प्रकृति का होता है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने और कर्मकारों की दशा में सुधार लाए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो निम्नवत् हैं:—

(i) पूरे देश में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं—स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। शहरी क्षेत्रों में, गरीबों को लाभदायी रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 1.12.97 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल रही है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।